

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 27 Feb, 2025

Edition : International Table of Contents

<p>Page 04 Syllabus : GS 2 – International Relations</p>	<p>ट्रम्प की रूस-यूक्रेन नीति यूरोपीय संघ-भारत वार्ता पर हावी है</p>
<p>Page 07 Syllabus : GS 2 : Social Justice</p>	<p>भारत में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों ने चावल, गेहूं की पैदावार में 10% तक की कमी की</p>
<p>Page 15 Syllabus : Prelims Fact</p>	<p>पुरातत्वविदों ने डेनमार्क में स्टोनहेंज जैसा घेरा पाया</p>
<p>In News</p>	<p>भारत में परिसीमन: दक्षिणी राज्यों और संसदीय सीटों पर प्रभाव</p>
<p>In News</p>	<p>कार्बन सीमा समायोजन तंत्र</p>
<p>Page 08 : Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Governance - Schemes For Vulnerable Sections</p>	<p>मातृत्व अधिकारों के लिए एक छलांग पीछे</p>

—It's about quality—

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और 21 यूरोपीय आयोग आयुक्त दो दिन की भारत यात्रा पर हैं।

Trump's Russia-Ukraine policy hangs over EU-India talks

Suhasini Haidar
MADRID/NEW DELHI

Stung by the shifts in U.S. foreign policy, particularly on the Russia-Ukraine conflict, the two-day visit by the President of the European Commission (EU), Ursula von der Leyen, and 21 EU Commissioners beginning Thursday will send the message that Europe is shoring up other partners, including India, as much as they focus on the task of resetting EU-India ties.

The College of Commissioners' travel is "unprecedented", a EU statement said, as they have never travelled to any country in such strength before. According to EU officials who briefed European and India media this week, the visit has been planned for some months, and was announced by Ms. von der Leyen at Davos on January 21. The policy changes wrought by U.S. President

Donald Trump since then hang over the meetings in Delhi.

"A new push for greater cooperation, to be clear, was already identified and planned quite a while ago," an EU official said, adding: "But the timing of this visit is, of course, particularly interesting given the global developments that we are facing."

The European delegation comes just after the third anniversary of Russia's invasion of Ukraine, which was marked by a moment of solidarity with the Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, and the presence of more than a dozen European and Western leaders, including Ms. von der Leyen, in Kyiv for commemorative ceremonies. The EU also imposed a 16th round of sanctions on Russia, even as the U.S. broke with it at the United Nations by voting with Russia against an EU resolu-



European Commission President Ursula von der Leyen along with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at a security summit. AP

tion calling for the withdrawal of Russian troops from Ukraine.

Their meetings with Prime Minister Narendra Modi and many members of the Union Cabinet will coincide with Mr. Zelenskyy's travel to Washington to sign a "mineral deal" and discuss a Russia-Ukraine ceasefire proposal with Mr. Trump, seen as a significant climbdown by the Ukrainian President, even after Mr. Trump

called him a "dictator" with "4% approval ratings". The EU visit to Delhi will also come days before an extraordinary European summit on March 6.

"One specific point that I expect President Leyen to raise in the context of that conversation is not just our support for Ukraine, but also our sanctions that we are maintaining on Russia," the EU official said, indicating that despite the setback from the U.S.'s U-

turn, the EU would continue "intensifying enforcement of its sanctions against Moscow".

New Delhi, which has rejected all sanctions against Russia thus far, and increased its oil imports from the Russian Ural multi-fold since 2022, is unlikely to change its position, especially in the revised circumstances.

The substance of the visit, then, will come from a restart in EU-India relations that have been somewhat cast in the shade over the Ukraine conflict. There has been no EU-India annual summit since 2020, although they held a 'Leader's Summit' in 2021, and are now preparing for a summit later in 2025.

Despite relaunching the long-pending EU-India Bilateral Trade and Investment Agreement (BTIA) talks in 2022, the two sides have not made much headway over tariff issues on

cars, wine and spirits, and on non-tariff barriers, officials conceded, and will hope for a political push during the Delhi visit ahead of the next round of trade talks on March 10-14 in Brussels.

The visit will begin with a meeting of the Trade and Technology Council (TTC), which is expected to work on aligning AI policies as well as cooperation on semiconductors, quantum computing, and green technology areas. This will be followed by bilateral meetings between EU Commissioners and Indian Ministers, a plenary with Mr. Modi, Ms. von der Leyen and their Cabinets, as well as meetings with key Indian industry leaders. The two sides are expected to hold broad discussions on updating the EU-India Strategic Roadmap (2020-2025), including cooperation in the Indo-Pacific.

यूरोपीय संघ के नेताओं की ऐतिहासिक यात्रा

- यह एक अभूतपूर्व यात्रा है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने इससे पहले किसी भी देश में इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है।
- इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को मजबूत करना है, खासकर अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव के बीच।

रूस-यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव

- यह यात्रा रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ के तुरंत बाद हो रही है।
- यूरोपीय संघ ने हाल ही में रूस पर अपने 16वें दौर के प्रतिबंध लगाए हैं।
- हालांकि, संयुक्त राष्ट्र में यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करके अमेरिका ने एक अलग रुख अपनाया है।
- यूरोपीय संघ से यूक्रेन के लिए अपने निरंतर समर्थन और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के प्रवर्तन पर चर्चा करने की उम्मीद है।

रूस पर भारत का रुख

- भारत ने रूस के खिलाफ सभी प्रतिबंधों को खारिज कर दिया है और 2022 से देश से अपने तेल आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- वैश्विक दबाव के बावजूद नई दिल्ली द्वारा अपना रुख बदलने की संभावना नहीं है।

Daily News Analysis

- इस यात्रा में रूस पर असहमति के बजाय यूरोपीय संघ-भारत द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

ईयू-भारत संबंधों का पुनरुद्धार

- वर्ष 2020 के बाद से कोई वार्षिक ईयू-भारत शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है, हालांकि वर्ष 2021 में 'नेताओं का शिखर सम्मेलन' आयोजित किया गया था।
- दोनों पक्ष वर्ष 2025 में एक प्रमुख शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं।
- वर्ष 2022 में पुनः आरंभ होने वाले ईयू-भारत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) पर वार्ता में बहुत कम प्रगति हुई है।
- प्रमुख व्यापार मुद्दों में कार, वाइन और स्पिरिट पर टैरिफ के साथ-साथ गैर-टैरिफ बाधाएं शामिल हैं।

व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग पर ध्यान

- यात्रा की शुरुआत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की बैठक से होगी।
- चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में एआई नीतियां, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और हरित प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
- ईयू-भारत रणनीतिक रोडमैप (2020-2025) को भी अपडेट किया जाएगा, जिसमें इंडो-पैसिफिक में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- भारतीय मंत्री, उद्योग जगत के नेता और ईयू अधिकारी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए बैठकें करेंगे।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी किस प्रकार बदलती वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाती है? उनके द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों और चुनौतियों का परीक्षण करें। (150 Words /10 marks)



➔ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के नए शोध से पता चलता है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र भारत के चावल और गेहूं के उत्पादन को कम कर रहे हैं, जिससे कई राज्यों में 10% तक की हानि हो रही है।

Coal-fired power plants in India cut rice, wheat yield by up to 10%

Nitrogen oxides are a side effect of India's coal dependence. They are phytotoxic, meaning they stress plants, and have been known to hinder cellular function and worsen crop damage. A new study has attempted to link the two in a systematic way at the power-plant level

Ashmita Gupta

According to new research led by researchers at Stanford University in the U.S., coal-fired power plants are quietly depleting India's rice and wheat output, destroying up to 10% of the yield in several States.

The emissions from coal power plants include carbon dioxide, nitrogen oxides, sulphur oxides, fly ash, soot, suspended particulate matter, and other trace gases. These pollutants have been linked to smog, acid rain, eutrophication and various other environmental burdens.

An elusive link

In the new study, PhD student Kirat Singh and his colleagues turned the spotlight on the less-explored consequences of nitrogen dioxide (NO₂) on crop productivity.

The nitrogen oxides in general are an established side effect of India's coal dependence. They are phytotoxic, meaning they stress plants, and have been known to hinder cellular function and interfere with crucial enzymatic activities. The oxides also contribute to the formation of ozone, which in turn exacerbates crop damage and produces particulate matter that limits the amount of sunlight available for photosynthesis.

"We know that coal-fired power plants contribute significantly to air pollution," Singh said. "And we also know from past studies that various pollutants, including NO_x, can negatively impact crop growth. But there hadn't been a study linking the two in a systematic way at the power-plant level, particularly in India."


Tracking plant health

To compensate for the lack of ground monitoring stations in agricultural areas, the researchers used data from satellite images to glean high-resolution insights into NO₂ concentration across India. Since multiple power plants contribute to NO₂ pollution across different distances, the researchers summed up all coal-attributable NO_x emissions reaching each location instead of isolating individual sources. This approach gave them a comprehensive picture of the amount of pollution to which agricultural regions were exposed.

Then, to estimate how NO₂ from coal-fired power plants affected crop yield, the researchers turned to a satellite-derived vegetation index. They used a physical signal called near-infrared reflectance of vegetation (NIRv) as a proxy for plant health. NIRv measures greenness. Healthy crops are richer in chlorophyll, which cannot be detected by visible light but is sensitive to near-infrared light. So a higher percentage of near-infrared light is reflected by leaves in healthy plants.

Using pre-established coefficients, the researchers could link NO₂ levels, measured by the TROPOMI satellite, to changes in NIRv. They used India-specific coefficients of 0.0006 for monsoon rice and 0.0007 for winter wheat. For every 1 mol/m³ increase in NO₂, for example, the corresponding drop in NIRv was 0.0006 and 0.0007, respectively.

Prior research has already shown a linear relationship between NIRv and crop yield, allowing the researchers to



Expected yield gains from eliminating coal-attributable nitrogen dioxide concentrations in major rice- and wheat-producing states. Large tracts of cropland in all key states are expected to see yield improvements of 1% from eliminating coal-related NO₂. Data from 2019 growing seasons. PNAS: 122 (6) E2421679122

directly estimate how much yield was lost due to pollution. They set a baseline NIRv of 0.007, representing zero crop growth, and calculated the percentage decrease in yield based on pollution-driven declines in greenness. This method helped them quantify the agricultural damage wrought by NO₂ without requiring physical field measurements.

Blowin' in the wind

They also analysed wind patterns to differentiate between pollution from coal plants and other industrial and environmental sources. This step helped the team unravel major differences in the effects of coal pollution across States.

For example, Chhattisgarh, a major hub for coal-fired power, had the highest share of NO₂ pollution from coal plants: about 19% of NO₂ detected in the monsoon season and 12.5% in winter came from coal plants.

Surprisingly, Uttar Pradesh had high overall NO₂ levels but only a small portion of that came from coal power, while Tamil Nadu had relatively low NO₂ pollution but the bulk of it came from coal power.

Coal's contribution to air pollution thus varied by region. Not all power plants have the same impact: those located near



The researchers turned the spotlight on the less-explored consequences of nitrogen dioxide on crop productivity. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Targeting highly polluting plants could have significant benefits for agricultural productivity. The yield of 5.7% of cropland in West Bengal near coal-fired power stations could increase 5-10%

fertile farmland with a high emissions exposure caused the most agricultural damage, Singh said.

An overlooked loss

Crop damage intensity – measured as monetised loss per gigawatt-hour (GWh) of electricity generated – for wheat and rice touched up to \$17,370/GWh (\$15 lakh on February 6, 2025) and \$13,420/GWh (\$11.7 lakh) respectively.

About 20% of coal-fired electricity generation during the monsoon season accounted for half of all coal NO₂-related rice losses while 12% of total winter season generation was linked to 50% of wheat losses.

This suggested that targeting a relatively small subset of highly polluting power stations could still have significant benefits for agricultural productivity.

To wit, as per the study, the yield of 5.7% of cropland in West Bengal near coal-fired power stations could increase 5-10% while the gains of 1.66% could exceed 10%.

Similarly in Madhya Pradesh, the yield in 5.9% of cropland could increase 5-10% yield gains and another 11.9% could gain by more than 10%.

To compare, the annual yield growth for kharif rice and rabi wheat has averaged just 1.7% and 1.5% respectively between 2011 to 2020.

According to the study, India's rice production could gain \$420 million a year and wheat \$400 million a year, roughly

₹7,000 crore in total.

India and coal

As the 2025-2026 Economic Survey as well as energy experts have noted, coal power plays a crucial role in India's growth at the moment. The 2025-2026 Union Budget has allocated 25% more for the Ministry of Coal over revised estimates of FY 2024-2025.

India's demand for food is soaring as well. In 2024, the Global Hunger Index ranked India 105th out of 127 countries on food security. Rice and wheat are staple crops in India and in many parts of the world to which these grains are exported.

Singh said he hopes to inform policy reforms that will allow the coal and agricultural sectors to meet in the middle.

"When you're crafting policy around controlling pollution from the power sector, considering crop impacts alongside health and greenhouse gas emissions can help policymakers prioritise where that pollution control equipment should be installed," he said.

"If you want to optimise the money that is being invested in installing all of this pollution-control equipment, you want to focus on power plants where it would bring the most benefit."

Policy-makers might find information in our research that could be helpful in terms of figuring out which power stations to prioritise," he added.

Singh grew up in New Delhi and said its poor air quality motivated him to study the consequences of air pollution on human as well as crop health.

He is planning to further study how coal power plants affect agriculture at large in India, including the effects of other pollutants on crop productivity.

(Ashmita Gupta is a science writer. ashmitagupta321@gmail.com)

शोधकर्ताओं ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) उत्सर्जन पर ध्यान क्यों केंद्रित किया?

- फसलों पर फाइटोटॉक्सिक प्रभाव: NO₂ फाइटोटॉक्सिक है, जिसका अर्थ है कि यह सेलुलर कार्यों और एंजाइमेटिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करके सीधे पौधों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है।
उदाहरण: कोयला संयंत्रों के पास कृषि क्षेत्रों में, NO₂ के संपर्क में आने से क्लोरोफिल का स्तर कम हो जाता है, जिससे पौधों की जीवन शक्ति और उपज कम हो जाती है।
- द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण: NO₂ जमीनी स्तर पर ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, जो प्रकाश संश्लेषण को सीमित करके और ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करके फसलों को और नुकसान पहुँचाता है।
उदाहरण: छत्तीसगढ़ जैसे कोयला केंद्रों के पास ओजोन के निर्माण में वृद्धि से बढ़ते मौसम के दौरान फसल का नुकसान बढ़ जाता है।
- भारत में सीमित मौजूदा शोध: जबकि वैश्विक अध्ययन NO₂ को कृषि क्षति से जोड़ते हैं, भारत में बिजली संयंत्र स्तर पर कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया गया था।
उदाहरण: यह शोध कोयला संयंत्रों से NO₂ उत्सर्जन को सीधे गेहूँ और चावल की उपज के नुकसान से जोड़कर अंतर को भरता है।
- उपग्रह डेटा उपलब्धता: ट्रोपोमी जैसे उन्नत उपग्रह NO₂ सांद्रता की सटीक ट्रैकिंग की अनुमति देते हैं, जिससे प्रदूषक के व्यापक प्रभावों का अध्ययन करना आसान हो जाता है।
उदाहरण: शोधकर्ताओं ने प्रदूषित क्षेत्रों में फसल स्वास्थ्य को मापने के लिए उपग्रह-व्युत्पन्न वनस्पति सूचकांक (NIRv) का उपयोग किया।
- कोयला संयंत्रों से उच्च योगदान: कोयला आधारित बिजली संयंत्र विशेष रूप से औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में NO₂ उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत हैं।
उदाहरण: छत्तीसगढ़ में, मानसून-सीजन के लगभग 19% NO₂ कोयला संयंत्रों से आते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है।

यह प्रदूषक पौधों के स्वास्थ्य और फसल की उपज को कैसे प्रभावित करता है?

- प्रकाश संश्लेषण में व्यवधान: NO₂ कणिका पदार्थ जैसे द्वितीयक प्रदूषक बनाकर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है। यह पौधों में ऊर्जा उत्पादन को सीमित करता है।
उदाहरण: कोयला संयंत्रों के पास के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चावल और गेहूँ की पैदावार में 5-10% की गिरावट के कारण सूर्य के प्रकाश का कम संपर्क होता है।
- कोशिकीय और एंजाइमेटिक क्षति: NO₂ महत्वपूर्ण कोशिकीय प्रक्रियाओं और एंजाइमेटिक कार्यों में बाधा डालता है, जिससे पौधों की वृद्धि कमजोर होती है और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। उदाहरण: छत्तीसगढ़ में उच्च NO₂ स्तरों के संपर्क में आने वाली फसलें धीमी वृद्धि और कम उत्पादकता दिखाती हैं, खास तौर पर पीक सीजन के दौरान।
- ओजोन निर्माण और ऑक्सीडेटिव तनाव: NO₂ ग्राउंड-लेवल ओजोन में योगदान देता है, जो पौधों में ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बनता है, जिससे पत्तियों को नुकसान होता है और फसल की पैदावार कम होती है।
उदाहरण: उत्तर प्रदेश में, जहाँ कुल मिलाकर NO₂ का स्तर अधिक है, सर्दियों के मौसम में ओजोन-प्रेरित तनाव के कारण गेहूँ की फसलों को काफ़ी नुकसान होता है।

कौन से राज्य सबसे ज़्यादा कृषि नुकसान दिखाते हैं?

Daily News Analysis

- छत्तीसगढ़: कोयला संयंत्रों से NO₂ प्रदूषण के उच्चतम हिस्से के साथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र (मानसून के दौरान 19% और सर्दियों में 12.5%)। यह कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण और फ़सल की पैदावार में कमी आती है।
- पश्चिम बंगाल: कोयला संयंत्रों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO₂) काफ़ी ज़्यादा हैं, जो 5.7% फ़सल भूमि को प्रभावित करते हैं, और कुछ क्षेत्रों में उपज में 5-10% और यहाँ तक कि 10% से भी ज़्यादा की हानि होती है। कोयला संयंत्रों की उपजाऊ कृषि क्षेत्रों से निकटता चावल और गेहूँ के उत्पादन पर प्रभाव को बढ़ाती है।
- मध्य प्रदेश: कोयला संयंत्रों के पास की लगभग 5.9% फ़सल भूमि में 5-10% उपज का नुकसान होता है, जबकि 11.9% कृषि भूमि में 10% से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है।
- उत्तर प्रदेश: कुल मिलाकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO₂) का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा ही कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से आता है। अन्य औद्योगिक स्रोत नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO₂) उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हैं, फिर भी कोयला संयंत्र अभी भी सर्दियों के गेहूँ की पैदावार पर बोझ बढ़ाते हैं।
- तमिलनाडु: कुल मिलाकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO₂) का स्तर कम है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा कोयला संयंत्रों से आता है, जो स्थानीय कृषि को असमान रूप से प्रभावित करता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की सघनता क्षेत्र के वायु प्रदूषण में एक बड़ा हिस्सा योगदान देती है।

भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

- कोयला क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि: 2025-2026 के केंद्रीय बजट ने कोयला मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2024-2025 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 255% आवंटन बढ़ाया है, जो कोयला संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
- प्रदूषण नियंत्रण जनादेश: सरकार ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंड पेश किए हैं, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO₂) और अन्य प्रदूषकों को कम करने के लिए फ़्लू गैस डिसल्फ़राइज़ेशन (FGD) जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने की आवश्यकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: राष्ट्रीय सौर मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन जैसी नीतियों का उद्देश्य कोयले पर निर्भरता को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देते हुए वायु प्रदूषण को कम करना है।

आगे की राह:

- उत्सर्जन विनियमन को मजबूत करें: कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए NO₂ उत्सर्जन सीमा को सख्त करें, नियमित निगरानी लागू करें और चयनात्मक उत्प्रेरक कमी (SCR) जैसी उन्नत प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों को अपनाने में तेज़ी लाएँ।
- टिकाऊ कृषि और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना: NO₂ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को लचीली फसल किस्मों के साथ सहायता प्रदान करना तथा सौर और पवन अवसंरचना में निवेश बढ़ाकर नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को बढ़ावा देना।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत की कृषि उत्पादकता पर कोयला-लाल बिजली संयंत्रों के प्रभाव पर चर्चा करें। (150 Words /10 marks)

Page 15 : Prelims Fact

- डेनमार्क के पुरातत्वविदों ने आर्स में 2000 ईसा पूर्व का एक लकड़ी का घेरा खोजा है, जो संभवतः ब्रिटेन के स्टोनहेंज से जुड़ा हुआ है।

समाचार का विश्लेषण:

- डेनमार्क के पुरातत्वविदों ने आर्स में एक प्राचीन लकड़ी का घेरा खोजा है, जो संभवतः स्टोनहेंज से जुड़ा हुआ है।
- इस संरचना में 30 मीटर व्यास के घेरे में व्यवस्थित 45 लकड़ी के ढेर हैं, जो दो मीटर की दूरी पर हैं।
- यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लगभग 2000 ईसा पूर्व का है, लेकिन इसकी आयु और उद्देश्य की पुष्टि करने के लिए आगे का विश्लेषण चल रहा है।
- डेनमार्क के बोर्नहोम द्वीप पर सूर्य पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इसी तरह के लकड़ी के घेरे पाए गए हैं।
- उत्खनन से एक सरदार की कब्र और एक कांस्य तलवार के साथ एक प्रारंभिक कांस्य युग की बस्ती का भी पता चला।
- पुरातत्वविद डेनमार्क और स्टोनहेंज के निर्माताओं के बीच संभावित सांस्कृतिक संबंधों की जांच कर रहे हैं।

स्टोनहेंज, इंग्लैंड

- स्थान: स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्मारक है।
- निर्माण अवधि: 3100 ईसा पूर्व और 1600 ईसा पूर्व के बीच कई चरणों में बनाया गया।
- संरचना: विशाल खड़े पत्थरों के दो संकेंद्रित वृत्तों से मिलकर बना है, जिनमें से कुछ का वजन 25 टन तक है।
- उद्देश्य: माना जाता है कि यह एक औपचारिक स्थल, कब्रिस्तान और खगोलीय वेधशाला है।
- ब्लूस्टोन की उत्पत्ति: कुछ पत्थरों को 200 किलोमीटर से अधिक दूर वेल्स से लाया गया था।
- खगोलीय संरेखण: गर्मियों और सर्दियों के संक्रांति के साथ संरेखित।
- यूनेस्को की स्थिति: 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त।



The Stonehenge in England. Archaeologists believe the ancient circle of wood uncovered in a Danish town could be linked to the renowned structure. GETTY IMAGES

Archaeologists find Stonehenge-like circle in Denmark

Agence France-Presse
COPENHAGEN

Danish archaeologists have uncovered an ancient circle of wooden piles that they say could be linked to Britain's world-renowned Stonehenge.

The 45 neolithic-era wooden pieces, in a circle with a diameter of about 30 metres, were found during work on a housing estate in the northwestern town of Aars. The piles are about two metres apart. "It is a once in a lifetime find," Sidsel Wahlin, conservationist at the town's Vesthimmerland museum, said in an email.



The wooden circle is estimated to date from about 2000 BC but Ms. Wahlin said the team had started detailed work on Monday to definitively identify its age and function. The circle "points to a strong connection with the British henge world," she added.

The two circles of stones at Stonehenge in southern England are believed to have been erected between 3100 BC and 1600 BC. Archaeologists are now trying to find if there is an inner circle at the Aars site. Ms. Wahlin said that some timber circles, considered part of worshipping of the sun, have been found on the Danish island of Bornholm.

Archaeologists first found an early Bronze Age settlement at the building site that included a chieftains grave and a bronze sword, Ms. Wahlin said. The archaeologists are now looking for "ritual deposits" such as flint arrowheads and daggers as part of a major sampling exercise at the site. Ms. Wahlin said the next searches would seek to find if there were links between the region and other peoples, such as those who built Stonehenge.

In News : Delimitation in India: Impact on Southern States & Parliamentary Seats

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की चिंताओं का समाधान करते हुए आश्वासन दिया कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों को कोई संसदीय सीट नहीं खोनी पड़ेगी।



- उत्तर की तुलना में दक्षिण में जनसंख्या वृद्धि धीमी होने के कारण, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर परिसीमन से उत्तरी राज्यों की सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- परिसीमन, जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करता है, विलंबित जनगणना के बाद अपेक्षित है और शुरू में इसे 2026 के लिए निर्धारित किया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, परिसीमन चार बार हुआ है - 1952, 1963, 1973 और 2002।

परिसीमन की आवश्यकता

- परिसीमन एक संवैधानिक जनादेश है जो संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को फिर से समायोजित करने और निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर लोकसभा सीटों के आवंटन को समायोजित किया जाना चाहिए।

- ▶ हालांकि, अनुच्छेद 81 लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या को 550 तक सीमित करता है, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।
- ▶ इसके लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का अनुपात यथासंभव एक समान हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग समान हो।
- ▶ इसका लक्ष्य निर्वाचन क्षेत्रों में समान जनसंख्या आकार बनाए रखकर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

भारत में परिसीमन का इतिहास

- ▶ 1976 से पहले: 1951, 1961 और 1971 की जनगणनाओं के बाद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्वितरण किया गया।
- ▶ 42वाँ संशोधन (1976): आपातकाल के दौरान, संसद ने परिवार नियोजन उपायों को लागू करते समय उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व खोने से बचाने के लिए 2001 की जनगणना तक सीटों की कुल संख्या को स्थिर कर दिया था।
- ▶ 2001 परिसीमन: जबकि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तैयार किया गया था, दक्षिणी राज्यों के विरोध के कारण सीटों की संख्या अपरिवर्तित रही।

लोकसभा सीटों और चुनावों पर परिसीमन का प्रभाव

- ▶ परिसीमन के बाद प्रत्येक राज्य को मिलने वाली सीटों की संख्या भविष्य के परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित आधार औसत जनसंख्या पर निर्भर करेगी।
- ▶ 1977 में, प्रत्येक सांसद औसतन 10.11 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। आदर्श रूप से, निर्वाचन क्षेत्रों को इस औसत के आसपास समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।

लोकसभा की ताकत में संभावित वृद्धि

- ▶ यदि 10.11 लाख का औसत बरकरार रखा जाता है, तो 2025 की जनसंख्या अनुमानों के आधार पर लोकसभा की ताकत लगभग 1,400 तक बढ़ सकती है।
- ▶ उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश में इसकी सीटें 85 से बढ़कर 250 हो सकती हैं, जबकि झारखंड सहित बिहार में 25 से बढ़कर 82 हो सकती हैं।
- ▶ तमिलनाडु और केरल में केवल मामूली वृद्धि (क्रमशः 39 से 76 और 20 से 36) होगी।
- ▶ चूंकि नई संसद में केवल 888 सीटें हैं, इसलिए इस फॉर्मूले के लागू होने की संभावना नहीं है।
- ▶ विशेषज्ञों का मानना है कि फॉर्मूले के बावजूद, दक्षिणी राज्यों को उत्तरी राज्यों की तुलना में कम सीटें मिलेंगी, जिससे उनके घटते राजनीतिक प्रभाव पर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

चुनावों पर परिसीमन का प्रभाव

- ▶ दक्षिण में क्षेत्रीय दलों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से उत्तर भारत में मजबूत आधार वाली पार्टियों को फायदा होगा।

परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ


Daily News Analysis

- ▶ दक्षिणी राज्यों को डर है कि नवीनतम जनसंख्या डेटा के आधार पर परिसीमन से संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव कमजोर हो जाएगा।
- ▶ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक की घोषणा की, उन्होंने इसे दक्षिणी राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा बताया।
- ▶ उन्होंने चेतावनी दी कि परिवार नियोजन में अपनी सफलता के कारण तमिलनाडु संसदीय सीटें खो सकता है।



In News : Carbon Border Adjustment Mechanism

यूरोपीय संघ ने हाल ही में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के कार्यान्वयन के बारे में भारत की "विशिष्ट चिंताओं" को स्वीकार किया।



कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के बारे में

- यह कार्बन-गहन उत्पादों पर यूरोपीय संघ (ईयू) टैरिफ है।
- यह कार्बन रिसाव को रोकने के लिए एक नया ईयू साधन है, अर्थात, गैर-ईयू देशों में वस्तुओं के उत्पादन को स्थानांतरित करना, जहां उनके उत्पादन से जुड़ी कार्बन लागत कम या नहीं है।

Daily News Analysis

- ▶ उद्देश्य: ईयू में प्रवेश करने वाले कार्बन-गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाना और गैर-ईयू देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- ▶ यह पुष्टि करके कि ईयू में आयातित कुछ वस्तुओं के उत्पादन में उत्पन्न अंतर्निहित कार्बन उत्सर्जन के लिए एक मूल्य का भुगतान किया गया है, सीबीएएम यह सुनिश्चित करेगा कि आयात का कार्बन मूल्य घरेलू उत्पादन के कार्बन मूल्य के बराबर है, और ईयू के जलवायु उद्देश्यों को कम नहीं किया जाता है।
- ▶ आयात का अर्थ है ईयू के बाहर से ईयू में कोई भी आयात, जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर किए गए सामानों का आयात और उपहारों का आयात शामिल है।
- ▶ सीबीएएम को डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुकूल बनाया गया है।

कार्बन प्रमाणपत्र:

- ▶ यदि इसे योजना के अनुसार लागू किया जाता है, तो यूरोपीय संघ के आयातकों को कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन प्रमाणपत्र खरीदना होगा, जो यूरोपीय संघ में भुगतान किया जाता यदि माल स्थानीय रूप से उत्पादित होता।
- ▶ प्रमाणपत्रों की कीमत यूरोपीय संघ के कार्बन क्रेडिट बाजार में नीलामी की कीमतों के अनुसार गणना की जाएगी।
- ▶ आवश्यक प्रमाणपत्रों की संख्या यूरोपीय संघ में आयातित माल की मात्रा और उन वस्तुओं में निहित उत्सर्जन के आधार पर सालाना परिभाषित की जाएगी।
- ▶ यूरोपीय संघ के आयातक अपने आयात में निहित उत्सर्जन की घोषणा करेंगे और प्रत्येक वर्ष संबंधित संख्या में प्रमाणपत्रों को सरेंडर करेंगे।
- ▶ यदि आयातक यह साबित कर सकते हैं कि आयातित माल के उत्पादन के दौरान पहले से ही कार्बन मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, तो संबंधित राशि में कटौती की जा सकती है।
- ▶ यूरोपीय संघ के बराबर घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण व्यवस्था वाले देशों की कंपनियां CBAM प्रमाणपत्र खरीदे बिना यूरोपीय संघ को निर्यात कर सकेंगी।

कार्यान्वयन समयरेखा:

- ▶ CBAM 2026 से अपने निश्चित शासन में लागू होगा, जबकि वर्तमान संक्रमणकालीन चरण 2023 और 2025 के बीच चलेगा।
- ▶ CBAM ने 1 अक्टूबर 2023 से अपने संक्रमणकालीन चरण की शुरुआत की।
- ▶ संक्रमणकालीन अवधि के दौरान केवल रिपोर्टिंग दायित्व उत्पन्न होते हैं, और वित्तीय दायित्व 2026 से लागू होते हैं।
- ▶ कवरेज: CBAM शुरू में "कार्बन रिसाव" के जोखिम वाले कुछ सबसे अधिक कार्बन-गहन क्षेत्रों में कई विशिष्ट उत्पादों को कवर करेगा: लोहा और इस्पात (नट और बोल्ट जैसे कुछ डाउनस्ट्रीम उत्पादों सहित), सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम, बिजली और हाइड्रोजन।

A leap backward for maternity entitlements

Even as State after State is splurging on cash transfers for women, the most vulnerable among them, pregnant women, continue to be deprived of their legal right to maternity benefits. Worse, whatever little used to be paid to them seems to be shrinking. The main responsibility for this lies with the central government.

Under the National Food Security Act (NFSA) 2013, all pregnant women (except those already covered in the formal sector) are entitled to maternity benefits of ₹6,000 a child. At today's prices, this would mean ₹12,000 at the very least. Even that, of course, is a pittance. Still, affirming the principle of universal maternity entitlements was a groundbreaking feature of the NFSA. Even in relatively well-off households, pregnant women are often deprived of nutritious food, health care or rest time. Maternity benefits can help them to look after themselves and the newborn child.

Meagre as they are, maternity benefits under the NFSA are yet to be delivered. The central government is making a pretence of doing so under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY). The PMMVY's benefits, however, are restricted to one child a family, recently extended to a second child if it is a girl. This restriction is a blatant violation of the Act. Further, the benefits have been arbitrarily reduced to ₹5,000 for the first child.

Scant information

Even these restricted and reduced benefits are



Jean Drèze

is Visiting Professor at the Department of Economics, Ranchi University



Reetika Khara

is Professor of Economics at the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi

All pregnant women in India are entitled to maternity benefits, but most of them have not got a single rupee in recent years

being denied to large numbers of entitled women. This failure is well hidden, because the Ministry of Women and Child Development discloses very little information on the PMMVY. The Ministry seems unaware of Section 4 of the Right to Information (RTI) Act, which calls for pro-active disclosure of basic information. Even the simplest of the PMMVY's statistics are not in the public domain.

The Ministry, however, did respond to our RTI queries, on the PMMVY. Based on this information, we have estimated the PMMVY's effective coverage, defined as the proportion of pregnant women who receive at least one instalment of PMMVY benefits. This is a broad definition: the first instalment is just ₹3,000, and strict conditionalities apply to the second instalment (front-loaded for second-child girls). The estimates are sobering: effective coverage peaked at an unimpressive 36% in 2019-20 and declined sharply after that, except for a partial revival in 2022-23. In 2023-24, effective coverage crashed to just 9% (*see graph*).

This crash is also visible in the Budget's figures. Central government spending on the PMMVY was at an all-time low of ₹870 crore in 2023-24 – barely one third of the corresponding figure five years earlier, that too in money terms. To cover 90% of all births at just ₹6,000 a birth, the PMMVY would require a total budget of at least ₹12,000 crore.

The official line

We discussed these figures with the officials concerned in the Department of Women and Child Development, at the central and State levels. They did not deny that the PMMVY had come to a virtual standstill in 2023-24. They blamed this on major changes in software and implementation processes that were introduced in late 2023. Further scrutiny of the data suggests that the main problem was not a reduction in applications, but a reduced disbursement rate. According to one official, there were software problems "every day".

The problem, however, did not begin in 2023-24. The PMMVY, launched in 2017, has been plagued with complications all along. More than a few of them are related to Aadhaar-based payments and digital tyranny. There have been numerous reports that have drawn attention to these complications and their exclusionary effects. Instead of responding to these ground reports, however, the central government created

more complications in 2023-24, with disastrous consequences for Indian women. For the government, of course, the reduction in PMMVY expenditure is a good deal. Could this be one reason why the tendency to create hurdles is so resilient?

The examples of Tamil Nadu and Odisha Meanwhile, States such as Tamil Nadu and Odisha have shown the possibility of designing simple and effective maternity-benefit schemes, from 1987 and 2009 onwards, respectively. The monetary support offered by them is more substantial than under the PMMVY – ₹10,000 a child in Odisha and ₹18,000 a child in Tamil Nadu. In Odisha, the amount was doubled ahead of the 2024 general election. In Tamil Nadu, the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) promised to increase it to ₹24,000 in its 2021 election manifesto, and the party appears to be waiting for the next election to implement this promise. The PMMVY benefits, for their part, have never been raised, despite being lower than NFSA norms in the first place.


Not only are the amounts higher in Odisha and Tamil Nadu, but their implementation is also much better. Figures reported in Odisha's Economic Survey suggest that maternity benefits covered about 64% of all births there in 2021-22 (the latest year for which data are available). In Tamil Nadu, coverage was 84% in 2023-24, when the all-India coverage under the PMMVY was below 10%. The contrast could hardly be sharper.

In the formal sector, Indian women enjoy a full 26 weeks of paid maternity leave (based on a 2017 amendment of the Maternity Benefits Act 1961), compared with a World Health Organization norm of 14 weeks. In the unorganised sector, they get a flat ₹5,000 if they are lucky enough to survive all the hoops they have to jump through for PMMVY benefits. These double standards are mind-boggling.

The time has come to admit that the PMMVY is a flop show. The central government seems to be more concerned with saving money than with helping pregnant women. As a result, it has ruined a programme that could have proved very useful and popular. It also stands in flagrant violation of the NFSA. The entire programme needs to be revamped in line with the letter and spirit of the Act. The benefits should also be raised and indexed to the price level. The entire society stands to gain from better public support for pregnant women.

Estimated coverage of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

Percentage of pregnant women who received at least one PMMVY instalment



Source: Official PMMVY data obtained under RTI; birth numbers were estimated from birth rates and projected population.

GS Paper 02: शासन - कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं

UPSC Mains PYQ : 2021 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को खत्म करने में कैसे मदद की है?

संदर्भ :

- ▶ भारत में सभी गर्भवती महिलाएँ मातृत्व लाभ की हकदार हैं, फिर भी हाल के वर्षों में अधिकांश को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत मातृत्व लाभ के कानूनी प्रावधान क्या हैं?

- ▶ सार्वभौमिक अधिकार (औपचारिक क्षेत्र को छोड़कर): सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ (औपचारिक क्षेत्र में पहले से ही मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को छोड़कर) पोषण और स्वास्थ्य के लिए कानूनी रूप से प्रति बच्चा ₹6,000 प्राप्त करने की हकदार हैं।
- ▶ पोषण और स्वास्थ्य सहायता का उद्देश्य: इस प्रावधान का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद पोषण, आराम और चिकित्सा देखभाल तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करके मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- ▶ केंद्र सरकार के लिए कानूनी दायित्व: यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कानूनी कर्तव्य है कि मातृत्व लाभ बिना किसी मनमाने कटौती या प्रतिबंध के प्रदान किए जाएँ।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों की तुलना में वे कैसे हैं?

- ▶ **कवरेज का दायरा**
 - NFSA 2013: सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं (औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को छोड़कर) को प्रति बच्चा ₹6,000 प्रदान करता है।
 - PMMVY: केवल पहले बच्चे के लिए ₹5,000 प्रदान करता है (हाल ही में इसे लड़की होने पर दूसरे बच्चे के लिए भी बढ़ा दिया गया है), जो NFSA के तहत सार्वभौमिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
- ▶ **कार्यान्वयन दक्षता**
 - NFSA 2013: सभी पात्र महिलाओं के लिए पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधात्मक शर्तों के बिना सार्वभौमिक कवरेज को अनिवार्य करता है।
 - PMMVY: सख्त शर्तें (जैसे, आधार सत्यापन) और जटिल प्रक्रियाएँ लागू करता है, जिसके कारण कम संवितरण दर और कई पात्र महिलाएँ वंचित रह जाती हैं।

अत्यधिक जानकारी से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- ▶ न्यूनतम डेटा प्रकटीकरण: महिला और बाल विकास मंत्रालय PMMVY पर सीमित जानकारी प्रदान करता है, जो RTI अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करता है, जो सार्वजनिक डेटा के सक्रिय प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है। उदाहरण के लिए, लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की स्थिति जैसे बुनियादी विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

- ➔ आरटीआई-संचालित अंतर्दृष्टि: पीएमएमवीवाई कवरेज के बारे में जानकारी केवल आरटीआई प्रश्नों के माध्यम से ही उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, आरटीआई डेटा से पता चला है कि प्रभावी कवरेज 2019-20 में 36% से घटकर 2023-24 में सिर्फ 9% रह गया, जो कार्यक्रम की घटती पहुँच को दर्शाता है।
- ➔ बजटीय गोपनीयता: वित्तीय आवंटन और व्यय के बारे में बहुत कम पारदर्शिता है। उदाहरण के लिए, आधिकारिक रिकॉर्ड खुले तौर पर यह नहीं बताते हैं कि 2023-24 में केंद्र सरकार का खर्च ₹870 करोड़ क्यों गिर गया - पाँच साल पहले की राशि का सिर्फ एक तिहाई।

2019-20 से पीएमएमवीवाई के प्रभावी कवरेज में तेज़ी से गिरावट क्यों आई है?

- ➔ सॉफ्टवेयर से संबंधित मुद्दे और तकनीकी गड़बड़ियाँ: 2023-24 में, पीएमएमवीवाई के सॉफ्टवेयर और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में बड़े बदलावों के कारण बार-बार सिस्टम में विफलताएँ हुईं, भुगतान में देरी हुई या भुगतान अवरुद्ध हुआ। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें "हर दिन" सॉफ्टवेयर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लगातार आवेदन करने के बावजूद भुगतान दर कम हो गई।
- ➔ प्रतिबंधात्मक पात्रता और जटिल दस्तावेज: PMMVY केवल पहले बच्चे (और लड़की होने पर दूसरे बच्चे) तक ही लाभ सीमित करता है, जो NFSA के तहत सार्वभौमिक अधिकार का उल्लंघन करता है। सख्त आधार-आधारित सत्यापन और अन्य शर्तें दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और महिलाओं को बाहर कर देती हैं, जिन्हें कागजी कार्रवाई पूरी करने में कठिनाई होती है।
- ➔ बजट में कटौती और सरकारी खर्च में कमी: PMMVY पर केंद्र सरकार का खर्च 2023-24 में घटकर 870 करोड़ रुपये रह गया, जो पाँच साल पहले की राशि का सिर्फ एक तिहाई है। इस अपर्याप्त वित्तपोषण ने मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली पात्र महिलाओं की संख्या को सीधे कम कर दिया।

तमिलनाडु और ओडिशा में मातृत्व लाभ योजनाएँ PMMVY से किस तरह भिन्न हैं?

- ➔ उच्च वित्तीय सहायता: तमिलनाडु प्रति बच्चे 18,000 रुपये (इसे बढ़ाकर 24,000 रुपये करने का वादा करते हुए) प्रदान करता है, और ओडिशा प्रति बच्चे 10,000 रुपये प्रदान करता है। इसकी तुलना में, PMMVY पहले बच्चे (और लड़की होने पर दूसरे बच्चे) के लिए केवल ₹5,000 प्रदान करता है, जो NFSA द्वारा अनिवार्य ₹6,000 से कम है।
- ➔ समावेशी पात्रता मानदंड: तमिलनाडु और ओडिशा प्रतिबंधात्मक शर्तों के बिना हर बच्चे के जन्म पर लाभ प्रदान करते हैं। हालाँकि, PMMVY पहले बच्चे (लड़की होने पर दूसरे बच्चे तक हाल ही में विस्तार के साथ) तक ही लाभ सीमित करता है, जिससे कई पात्र महिलाएँ इससे बाहर हो जाती हैं।
- ➔ बेहतर कार्यान्वयन और कवरेज: तमिलनाडु ने 2023-24 में 84% कवरेज हासिल किया, और ओडिशा ने 2021-22 में 64% जन्मों को कवर किया। इसके विपरीत, सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों, कम खर्च और जटिल दस्तावेज़ीकरण के कारण PMMVY का प्रभावी कवरेज 2023-24 में केवल 9% तक गिर गया।

2023-24 में संवितरण को और कम करने में सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याओं की क्या भूमिका थी?

Daily News Analysis

- ▶ बार-बार सिस्टम फेलियर: 2023-24 में PMMVY के सॉफ्टवेयर और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में बड़े बदलावों के कारण नियमित रूप से तकनीकी गड़बड़ियाँ हुईं, जिससे भुगतान प्रणाली बाधित हुई और भुगतान में देरी हुई। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याएँ आ रही थीं।
- ▶ कम भुगतान दर: लगातार आवेदनों के बावजूद, तकनीकी समस्याओं के कारण लाभ के वास्तविक वितरण में भारी गिरावट आई। भुगतान दर में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे 2023-24 में प्रभावी कवरेज घटकर सिर्फ 9% रह गई।

आगे की राह:

- ▶ कार्यान्वयन को सरल बनाएँ और प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत बनाएँ: गड़बड़ियों को रोकने के लिए नियमित रखरखाव के साथ मजबूत, उपयोगकर्ता-अनुकूल सॉफ्टवेयर सिस्टम सुनिश्चित करें। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाएँ और समय पर संवितरण के लिए नौकरशाही बाधाओं को कम करें।
- ▶ कवरेज का विस्तार करें और फंडिंग बढ़ाएँ: प्रत्येक बच्चे के लिए ₹6,000 प्रदान करके PMMVY लाभों को NFSA प्रावधानों के साथ संरेखित करें। सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने और प्रवासी श्रमिकों जैसे हाशिए के समूहों को शामिल करने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाएँ।